

कार्यालय कलेक्टर मंडला एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

-अधिसूचना:-

घास-19

क्रमांक/भू-अर्जन/01/(अ-82) 2019-20/22

मंडला दिनांक 26/02/2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबन्धों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला- मंडला

(ख) तहसील- बिछिया

(ग) ग्राम- करंजिया माल, प.ह.नं. 28

(घ) क्षेत्रफल- 0.35 हेक्टेयर

जिला पंचायत मण्डला  
शाखा का नाम  
दिनांक E-Governance  
7/4  
मु.का.अधि./प्र.नारी अधि

| सं. क्र. | खसरा नंबर | रकबा |
|----------|-----------|------|
| 1        | 567/5     | 0.35 |
| योग-     |           | 0.35 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालोन सिंचाई परियोजना में बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.mandla.nic.in](http://www.mandla.nic.in), व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevenue.nic.in](http://www.mprevenue.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, हालोन संभाग बिछिया, के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(श्रीमति हषिका सिंह)

कलेक्टर मंडला एवं पदेन उपसचिव

म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

मंडला दिनांक 26/02/2021

पृ0 क्रमांक/भू-अर्जन/01/(अ-82) 2019-20/22 A

प्रतिलिपि

- नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र. राजपत्र भाग-1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक-एक प्रति भेजने का कष्ट करें।
- जिला प्रबंधक, ई-गवर्नेंस जिला पंचायत मण्डला को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 मण्डला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बिछिया को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चरपा कराने हेतु प्रेषित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

कलेक्टर मंडला एवं पदेन उपसचिव  
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग